तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनीशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०/ मूल वाद में और, लगा० 4 की एक पत्रीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बहस प्रार्थना पत्र 212 एक पत्रीय सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला सामल के पक्ष में होने से गैर सायलान की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। कि विवादित आराजी ख० न० 567 (567) रकबा 0.0400 है० बाके ग्राम मूडिक तह० बसेड़ी में - अस्थाई निषेधाज्ञा से गैर सायलान को पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी की रिकॉर्ड एवं मोके की यथा स्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक - पृष्ठ (कन्फर्म) की जाती है। पत्रावली कैशम शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.